संख्या : क.नि.–5–72/ग्यारह–06–500(65)/1991

प्रेषक,

अतुल चतुर्वेदी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,

राजस्व परिषद,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक : 16 जनवरी, 2006**

विषयः आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रांतर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को संबंधित निकाय संस्थाओं को वापस किये जाने विषयक वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अचल सम्पत्तियों के अंतरण विलेखों में अंकित प्रतिफल/बाजार मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की धनराशि के अलावा 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लिये जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–172(2) (जी) तथा धारा–191, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128(1) की उपधारा (13–ख) तथा धारा–128–क, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा–62 (2) उ.प्र. नगर पालिका एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–39 उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथारिटी एक्ट, 1986 की धारा–34 आदि में अधिनियमित की गयी है। शासन के पत्र संख्या : एसआर–3529/दस–500(194) /77, दिनांक 04.02.83 द्वारा उपर्युक्तानुसार संग्रहीत धनराशि में से चार प्रतिशत अनुषांगिक व्यय तथा चार प्रतिशत कलेक्शन व्यय काटकर संबंधित निकायों/संस्थाओं को वितरित किये जाने की व्यवस्था है। शासनादेश संख्या : क.नि. –5/1949/ग्यारह–2000, दिनांक 09.06.2000 में उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व कतिपय देयकों के समायोजन की व्यवस्था की गई है। नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या : 3415/नौ–9–16(2)/93, दिनांक 13.09.93, आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या : 2365/37–2–1993, दिनांक 13.09.93, आवास

अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या : 117/9–आ–5–95–16(2)/93टीसी, दिनांक 11.08.95, आवास अनुभाग–1की अधिसूचना संख्या : 4811/9–आ–1–96–16(2)/93टीसी, दिनांक 11.03.93, आवास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या : यूओ–140/9–आ–5–95–16(2)/96टीसी, दिनांक 11.03.96 द्वारा उक्त संग्रहीत धनराशि के वितरण की व्यवस्था निश्चित की गई है।

2– उक्त धनराशि के वितरण का वर्तमान प्रक्रिया निम्नवत् है :–

(क) प्रत्येक निकाय के क्षेत्र में उगाही गई 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का त्रैमासिक विवरण संबंधित निकाय को उप निबन्धक से तैयार कराकर जिला निबन्धक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) उक्त 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के विवरण के आधार पर उक्त शासनादेशों के अनुसार संबंधित निकाय/सस्था द्वारा अपना त्रैमासिक देयक तैयार किया जाता है।

(ग) विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा तैयार देयक सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को तथा नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत ,ारा अपना देयक निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करके प्रतिहस्ताक्षरित कराते हैं।

(घ) उपरोक्तानुसार तैयार देयकों को संबंधित निकाय/संस्था भुगतान हेतु अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ, अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रस्तुत करते हैं। (अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों में

(I) कौन सा निकाय/संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्यरत है,

(II) निकाय/संस्था द्वारा ऋण, ब्याज आदि की देयता का प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र

(III) ऋण आदि के समायोजनार्थ तीन प्रतियों में लेखा शीर्षक अंकित कर हस्ताक्षरित चालान, आदि सम्मिलित है)।

(ड.) अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा देयकों का परीक्षण कर भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

3– संबंधित निकायों/संस्थाओं को उक्त धनराशि की वापसी में होने वाली कठिनाई/विलम्ब को रोकने तथा भुगतान की वर्तमान केन्द्रीकृत व्यवस्था के स्थान पर जिला स्तर से ही भुगतान की विकेन्द्रित व्यवस्था को निम्नवत् लागू किया जाता है :–

(I) पूर्व प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित व्यवस्था यथावत रहेंगी।

(II) उपर्युक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए तैयार देयकों को संबंधित निकाय/संस्था द्वारा प्रस्तर–2(घ) में वर्णित आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा जिसे उप/सहायक आयुक्त, स्टाम्प को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(III) उप/सहायक स्टाम्प आयुक्त द्वारा देयकों का परीक्षण कर उचित पाने पर चार प्रतिशत अनुषांगिक व्यय तथा चार प्रतिशत संग्रह व्यय काटकर भुगतान हेतु संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। तदुपरान्त जिलाधिकारी द्वारा उक्त देयकों का भुगतान स्वीकृत किया जायेगा। जनपद में नियुक्त उप/सहायक, स्टाम्प आयुक्त के कार्यालय द्वारा संबंधित निकाय/संस्थाओं को डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से देय धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करते हुए भुगतान का पूर्ण विवरण अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त नई व्यवस्था दिनांक 01.10.05 से प्रारम्भ हुए त्रैमास से प्रभावी की जाती है। दोहरे भुगतान की सम्भावना न रहे, इसलिए दिनांक 01.10.05 से पूर्व के देयकों का भुगतान अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय से नान–पेमेंट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा। वर्तमान में अपर सचिव, राजस्व परिषद कार्यालय में लम्बित बिलों को संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को नान–पेमेंट प्रमाण पत्र के साथ भुगतान हेतु तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

4– नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में अंकित विभिन्न निकाय/संस्था के अंश यथावत् रहेंगे। एतद्द्वारा प्रभावी व्यवस्था/प्रक्रिया परिवर्तन को वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या : ए–2–06/दस–06, दिनांक 16.01.06 में प्रदान की गई सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

ह/–

अतुल चतुर्वेदी

प्रमुख सचिव